रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 433] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 24, 2007/अश्विन 2, 1929

No. 433] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 24, 2007/ASVINA 2, 1929

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2007

सा.का.नि. 623(अ).—साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 22 के साथ पठित व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 (1999 का 47) की धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कतिपय नियमों का प्रारूप भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 13 (अ) तारीख 11 जनवरी, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालिस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और, पूर्वोक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां 11 जनवरी, 2005 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और, जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 (1999 का 47) की धारा 157 की उप-धारा (2) के खंड (29) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2007 है ।

(2) ये 15 सितम्बर, 2003 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में,–

(i) मूल नियमों के नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

5. **"छुट्टी.**—(1) अपील बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, निम्नलिखित रूप में छुट्टी लेने का हकदार होगा :

(i) सेवा के प्रत्येक संपूरित कलेण्डर वर्ष या उसके किसी भाग के लिए तीस दिन की दर पर उपार्जित छुट्टी;

(ii) सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष की बाबत बीस दिन की दर पर चिकित्सा प्रमाणपत्र या निजी काम के आधार पर अर्ध वेतन छुट्टी और अर्ध वेतन छुट्टी के लिए छुट्टी, सम्बलम् उपार्जित छुट्टी के दौरान अनुज्ञेय छुट्टी संबलम के आधे के समतुल्य होगा ;

(iii) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, या सदस्य के विवेकानुसार अर्ध वेतन पर छुट्टी को पूर्ण वेतन छुट्टी में परिवर्तित किया जा सकता है परन्तु यह तब तक वह चिकित्सीय आधारों पर ली गई हो और सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी के चिकित्सा प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित की गई हो ;

(iv) पद की अवधि में एक सौ अस्सी दिनों की अधिकतम कालावधि तक वेतन और भत्तों के बिना असाधारण छुट्टी ।

(2) अपील बोर्ड में अपनी पदावधि की समाप्ति पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य अपने खाते में जमा उपार्जित छुट्टी के संबंध में छुट्टी के सम्बलम् के समतुल्य नकद प्राप्त करने का इस शर्त के अध्यधीन हकदार होगा कि इस नियम के अधीन, यथास्थिति, अधिकतम छुट्टी की मात्रा जिसकी नकद रकम प्राप्त की गई है और पिछली सेवा से सेवानिवृत्ति के समय तक एक साथ मिलाकर किसी भी दशा में 300 दिन से अधिक नहीं होगी ।"

(ii) मूल नियमों के नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"**6क पेंशन** : (1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में अपील बोर्ड में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति पेंशन का हकदार होगा, परंतु ऐसे व्यक्ति को पेंशन देय नहीं होगी यदि उसे अधिनियम की धारा 89 की उप-धारा (2) के अधीन पद से हटा दिया गया है ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन पेंशन की संगणना सेवा के प्रत्येक संपूरित छह मास की अवधि के लिए दो हजार तीन सौ अठ्ठावन रुपए प्रतिवर्ष की दर पर की जाएगी :

परंतु इस नियम के अधीन देय पेंशन की कुल रकम, जिसके साथ पेंशन के सारांशित भाग, यदि कोई हो, सहित पेंशन की ऐसी रकम भी है, जो अपील बोर्ड में पद धारण करते समय प्राप्त की गई है, या जिसके प्राप्त करने का वह हकदार है, उच्च न्यायालय के न्यायधीश के लिए विहित पेंशन की अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर या बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2007 के प्रवृत्त होने के एक मास के भीतर जो भी पश्चात्वर्ती हो, इन नियमों के अधीन अपने पेंशन के अधिकार को छोड देने का चयन कर सकेगा जिस पर वह अभिदाय भविष्य निधि में अभिदाय करने का पात्र होगा :

परंतु यह भी कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य जो 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् पद ग्रहण करता है, अभिदायी निधि में अभिदाय के लिए पात्र होंगे और पेंशन के लिए नहीं";

(iii) मूल नियम के नियम 7 में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परंतु नियम 6क के अधीन अभिदायी भविष्य निधि में अभिदाय करने वाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य साधारण भविष्य निधि में अभिदाय नहीं करेंगे" ।

(iv) मूल नियमों के नियम 10 में उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(2) जब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवास सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है या वह उसका उपयोग नहीं करता है तो उसे समय-समय पर केन्द्रीय सरकार में समतुल्य वेतनमान के अधिकारी को यथा अनुज्ञेय प्रतिमाह मकान किराया भत्तों का संदाय किया जा सकेगा ।";

(v) नियम 12 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"12क-नियम 4 से 12 तक में किसी बात के होते हुए भी, बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सेवा शर्तें और उन्हें उपलब्ध अन्य परिलब्धियां वही होंगी, जो कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधि नियम, 1954, तथा उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम, 1956 में यथा अंतर्विष्ट उच्च न्यायालयों के सेवारत न्यायाधीश को अनुज्ञेय है :

परंतु यह है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपनी नियुक्ति से तीन मास की अवधि के भीतर या बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2007 के अंतिम प्रकाशन के एक मास के भीतर जो भी बाद में हो उच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायालय के अधीन पेंशन के अपने अधिकार को व्यपगत करने का विकल्प दे सकेंगे और उस पर वह नियम 6क के अधीन पेंशन या अभिदायी भविष्य निधि का विकल्प देने के लिए पात्र होगा"।

[फा. सं. 8(28)03-आईपीआर-I(आईपीएबी)]

एन. एन. प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy & Promotion)
NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2007

G.S.R. 623(E).—Whereas, certain draft rules were published, in exercise of the powers conferre by Section 157 of the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999) read with Section 22 of the General clauses Act, 1897 (10 of 1897), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) number G. S. R. 13(E) dated 11th January, 2005 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of forty-five days from the date on which copies of the Official Gazette containing the notification were made available to the public;

And, whereas, the copies of the Official Gazette containing the aforesaid notification were made available to the public on 11th January, 2005;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (xxix) of sub-section (2) of Section 157 of the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999), the Central Govenment hereby makes the following rules to amend the Intellectual Property Appellate Board (salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 2003 namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Intellectual Property Appellate Board

(Salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of Chairman, Vice-Chairman and members) Amendment Rules, 2007.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 15th day of September, 2003

2. In the Intellectual Property Appellate Board (Salaries and Allowances payable to, and other terms and conditions of service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 2003 (hereinafter referred to as principal rules),—

(i) for rule 5 of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"**5, Leave.**—(1) A person, on appointment in the Appellate Board as Chairman, Vice-Chairman or other Member shall be entitled to leave as follows :

(i) earned leave at the rate of theirty days for every completed calendar year of service or a part thereof;

(ii) half pay leave on medical cetificate or on private affairs, at the rate of twenty days in respect of each completed year of service and the leave salary for half pay leave shall be equivalent to half of the leave salary admissible during the earned leave;

(iii) Leave on half pay can be commuted to full pay leave at the discretion of the Chairman, Vice-Chairman or Member, provided it is taken on medical grounds and is supported by a medical certificate from the competent medical authority; and

(iv) Extra-ordinary leave without pay and allowances upto a maximum period of one hundred and eighty days in one term of office.

(2) On expiry of his term of office in the Appellate Board, the Chairman, Vice-Chairman or other Member shall be entitled to receive cash equivalent of leave salary in respect of the earned leave standing to his credit subject to the condition that the maximum of leave encashed under this sub-rule and at the time of retirement from previous service taken together shall not in any case exceed 300 days.";

(ii) after rule 6 of the principal rules, the following rule shall be inserted, namely :—

"**6A Pension** : (1) Every person appointed to the Appellate Board as the Chairman, Vice-Chairman, or other Member shall be entitled to pension, provided that no such pension shall be payable to such a person if he has been removed from the office in the Appellate Board under sub-section (2) of Section 89 of the Act.

(2) Pension under sub-rule (1) shall be calculated at the rate of rupees two thousand three hundred and fifty-eight per annum for every completed six monthly period of service :

Provided that the aggregate amount of pension payable under this rule together with amount of any pension including commuted portion of pension, if any, drawn or entitled to be drawn while holding office in the Appellate Board, shall not exceed the maximum amount of pension prescribed for a Judge of the High Court :

Provided further that the Chairman, Vice-Chairman or any other Member, within a period of three months from the date of his appointment or within one month of final publication of the Intellectual Property Appellate Board (Salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 2007, whichever is later, may, elect to forego his right to pension under these rules whereupon he shall be eligible to subscribe to Contributory Provident Fund :

Provided also that the Chairman, Vice-Chairman or any other Member who enters office on or after 1st January, 2004 shall be eligible to subscribe to Contributory Provident Fund and not to Pension.";

(iii) In rule 7 of the principal rules, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the Chairman, Vice-Chairman and other Member subscribing to the Contributory Provident Fund under rule 6A shall not subscribe to the General Provident Fund.";

(iv) in rule 10 of the principal rules, for sub-rule (2),the following sub-rule shall be substituted, namely:–

"(2) When the Chairman, Vice -Chairman or a Member is not provided with, or does not avail himself of the accommodation referred to in sub-rule (1), he may be paid, every month, house rent allowance as may be admissible from time to time to an officer of equivalent pay scale in the Central Government.";

(v) after rule 12 of the principal rules, the following rule shall be inserted, namely :—

"12A Notwithstanding anything contained in rules 4 to 12, the conditions of services and other perquisites available to the Chairman or the Vice-Chairman of the Intellectual Property Appellate Board shall be the same as admissible to a serving Judge of a High Court as contained in the High court Judges (Conditions of Services) Act, 1954 and the High Court Judges (Travelling Allowances) Rules, 1956 :

Provided that the Chairman or the Vice-Chairman, within a period of three months from the date of his appointment or within one month of final publication of Intellectual Property Appellate Board (salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 2007, whichever is later, may elect to forego his right to pension under the High Court Judges Rules whereupon he shall be eligible to opt for Pension or Contributory Provident Fund under rule 6A".

[F. No. 8(28)03-IPR-I (IPAB)]

N. N. PRASAD, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.